



## तीन लोगों की जलकर मौत मामले में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

थाना बीटा- दो क्षेत्र में सोफा बनाने वाली एक फैक्ट्री में मंगलवार की सुबह आग लगने से तीन लोगों की जल कर मौत होने के बाद मृतकों के परिजन ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अपर युलिस उपायुक्त (जोन त्रुतीय) अशेक कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि थाना बीटा- दो क्षेत्र के साइट- 4 में सोफा बनाने वाली फैक्ट्री में मंगलवार की सुबह आग लगी। उन्होंने बताया कि मौक पर मृत्यु दमकल विभाग की पांच गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्त के बाद अग पर कांबू पाया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर तीन लोग मृत मिले जिनके नाम गुलफाम (23 वर्ष),

मजहबी आलम (29 वर्ष) तथा दिलशाद (24 वर्ष) हैं। सिंह के अनुसार, जांच के दौरान पता चला कि यह फैक्ट्री कोरोना काल से बंद थी और फैक्ट्री के मालिक ने गुलफाम, मजहबी आलम तथा दिलशाद को एक कोने में सोफा रिसर्विंग के लिए जाह दे रखी थी। अपर युलिस उपायुक्त (जोन त्रुतीय) अशेक कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि इस मामले में गुलफाम के बहावें जमाल ने थाना बीटा- दो में मुकदमा दर्ज करवाया है कि यह घटना फैक्ट्री में सोफा बनाने वाली फैक्ट्री में मंगलवार की सुबह आग लगी। उन्होंने बताया कि मौक पर मृत्यु दमकल विभाग की पांच गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्त के बाद अग पर कांबू पाया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर अनुसार, उसका साला गुलफाम अपने साथी दिलशाद और मजहबी आलम के साथ सोफा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। पीड़ित का अरोप है कि 26 नवंबर को सुबह फैक्ट्री में शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई।

## नोएडा/गोतमबुद्धनगर

निर्वाचक नामांवलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 का यार्डों की समीक्षा करती मंडलायुक्त मेरठ सेल्वा कुमार जे। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

नोएडा/गोतमबुद्धनगर 2

## नोएडा पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी ट्रैफिक को हटाया



एसीपी संचालक कुमार विश्वेन्द्र को रिजर्व पुलिस लाइन से एसीपी यातायात के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एसीपी 1 प्रेटर नोएडा पवन कुमार, ट्रैफिक निरीक्षक प्रफुल्ल श्रीवास्तव और थाना प्रभारी नॉलेज पार्क को परिनियन्त्रण प्रविष्ट (मिस कंटक) दी गई है।

थाना दावरी क्षेत्र अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पुलिस उपायुक्त यातायात युनियन के प्रसाद को हटा दिया है। उन्हें यातायात स्थल पर भी भारी संख्या में बकील मौजूद रहे। बार बता दें कि बार एसोसिएशन गोतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी मुख्यालय एवं पुलिस आयुक्त लागतार लाइन दिए गए निर्देशों एवं आदांशों के उल्लंघन के क्रम में अनिवार्यता पाए जाने पर थाना प्रभारी दादरी सुजीत उपायुक्त को निर्देश दिया गया है।

उनके ऊपर पुलिस कमिश्नर महीने में हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो के दैरेन एक्सप्रेस-वे से एसीपी मार्ट तक सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा बार में बाहर भी कोई धनाम दिलाया जाता है। उन्हें यातायात में लापरवाही बरतने के ताकल प्रभाव से पुलिस उपायुक्त यातायात से हटाकर पुलिस लाइन दिलाया था। लेकिन इस निर्णय से युवा बकील भड़क गए और जमकर हांगामा करते हुए निर्देश दिया गया है।

उनके ऊपर पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया गया है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी मुख्यालय एवं पुलिस आयुक्त लागतार लाइन दिए गए निर्देशों एवं आदांशों के उल्लंघन के क्रम में अनिवार्यता पाए जाने पर थाना प्रभारी दादरी सुजीत उपायुक्त को निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी दादरी अधिकारी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने यातायात के अंतर्गत गत

दिनों एक कंटेनर से प्रतिवर्ष पशु

के मास के परिवहन की घटना के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई













# उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण के लाभ के लिए धर्म परिवर्तन को संविधान के साथ धोखाधड़ी बताया

नई दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना किसी वास्तविक अस्था के केवल आरक्षण का लाभ पाने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी है। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने सी. सेलवरानी की याचिका पर 26 नवंबर को यह फैसला सुनाया तथा मद्रास उच्च न्यायालय के 24 जनवरी के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें इसाई धर्म अपना चुक्का एक महिला को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया था। महिला ने बाद में आरक्षण के तहत रोजगार का लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदू होने का दावा किया था।

न्यायमूर्ति महादेवन ने पीठ के लिए 21 पृष्ठ का फैसला लिया। उन्होंने इस बात पर जो दिया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को तभी अपनाता है, जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों, धर्म और आधारित विचारों से प्रेरित होता है। उन्होंने कहा, अगर धर्म परिवर्तन का मुख्य मकसद दूसरे धर्म में वास्तविक अस्था होने के बजाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करता है तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी गलत माना रखने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण नीति के सामाजिक



लोकाचार को ही क्षति पहुंचेगी। पीठ के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्टतया पता चलता है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म को मानती थी तथा नियमित रूप से ग्रन्थजार में जाकर सक्रिय रूप से इस धर्म का पालन करती थी। पीठ ने कहा, इसके बावजूद वह हिंदू होने का दावा करती है। ऐसे में महिला को अनुसूचित जाति का दावा प्रदान करना आरक्षण के मूल उद्देश्य के खिलाफ का दावा करने के लिए अनुसूचित जाति वास्तविक अस्था होने के बावजूद एक धर्म पत्र देने के लिए हिंदू के रूप में अपनी पहचान बनाए नहीं रख सकती है।

## इंटीग्रल कोच फैट्री में 280 किमी प्रति घण्टे की घटार वाली हाईस्पीड ट्रेन का निर्माण हो रहा: वैष्णव

नई दिल्ली (भाषा)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वृथावर को संसद को बताया कि इंटीग्रल कोच फैट्री, चेन्नई में बोइंगएफएल के साथ मिलकर हाई-स्पीड ट्रेन सेट का डिजाइन बनाया जा रहा है और निर्माण का लाभ उन्होंने जीर्ण किया गया है। जिसकी गति उत्तर में कहा कि मेक इंडिया ट्रेन के तहत बड़े भारत ट्रेनों की सफलता के बाद, भारतीय रेलवे (आईआर) ने अब हाई-स्पीड ट्रेन सेट का डिजाइन बनाना और निर्माण शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों सुधीर युपां और अनंत नायक द्वारा पूछे गए सवाल को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, निर्माण शुरू कर दिया है। ऐसे में कहा कि अपनी जनतागत हिंदूच का अब तक पालन करने का दावा करती है। ऐसे में महिला को अनुसूचित जाति का दावा प्रदान करना आरक्षण के मूल उद्देश्य के खिलाफ का दावा करती है। पीठ ने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति अपनी जनतागत पहचान खो देते हैं और अनुसूचित जाति के लाभ प्रदान करना आरक्षण के मूल उद्देश्य के खिलाफ होगा। अपनी जनता द्वारा स्वीकृत किया गया कि केवल अदावत ने रेखांविक्त किया कि बेल आरक्षण का लाभ पाने के लिए अपनाए गए धर्म अपनाने के बावजूद एक धर्म पत्र के रूप में अपनी पहचान बनाए नहीं रख सकती है।

# बजट सम्र तक बढ़ सकता है वक्फ समिति का कार्यकाल

नई दिल्ली। (भाषा) वक्फ़ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल अगले साल बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस संदर्भ में एक प्रस्ताव बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष जगदर्पिका पाल के नेतृत्व में बुधवार को हुई बैठक में सदस्यों ने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पर सर्वसम्मति व्यक्त की। बैठक में एक प्रस्ताव के माध्यम से निर्णय लिया गया कि समिति लोकसभा अध्यक्ष ओप बिल्ला से आग्रह करेगी कि समिति का कार्यकाल अगले साल के बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ाया जाए। समिति ने कार्यकाल बढ़ाने का कदम ऐसे समय

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि देश में कुल 58,929 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण का सामना कर रही हैं, जिनमें से 869 कर्नाटक में हैं। लोकसभा में भाजपा सदस्य बसवराज बोमर्है के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने यह जानकारी दी। रीजीजू ने कहा कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूपी) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में शिकायतें मिली हैं। उहोंने कहा कि उचित कार्रवाई के लिए इन्हें गच्छ वक्फ बोर्ड और

A photograph showing a large, leafy tree in the foreground, its branches reaching across the frame. Behind the tree, a white, two-story building with several arched windows is visible. To the right, a large, light-colored sign is mounted on a post, though its text is not clearly legible. The sky is clear and blue.

संबंधित सरकारों को भेज दिया गया उन्होंने कहा, डब्ल्यूएमएसआई (वक्फ एसेट्रस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया) पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, 58,929 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण का सामना कर रही हैं, जिनमें से कर्नाटक में 869 ऐसे वक्फ संपत्तियां हैं। मंत्री ने बताया कि वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति है।

करेंगे। कांग्रेस के गोरव गोगर्ड, द्रमुक के ए. राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने समिति के अध्यक्ष जगदम्भिका पाल के आचरण का सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक एवं चर्चा के बाद संयुक्त समिति को भेजने का फैसला हुआ था। इस विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दुरामी बदलावों का

विरोध किया और आरोप लगाया कि वह उचित प्रक्रिया पूरी किए बिना 29 नवंबर की समयसीमा तक इसकी कार्यवाही पूरी करने के इच्छुक हैं। गोगोई ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संकेत दिया था कि समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बढ़ा मंत्री पाल को निर्देशित कर रहा है। तृणमूल सांसद बर्नजी ने कहा, यह एक मजाक है। समिति की अब तक 25 से अधिक हुई बैठकों में कई मौकों पर पाल और विपक्षी सदस्यों के बीच गतिरोध देखने को मिला है। विपक्षी सदस्यों ने पाल पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया था कि जिसका भाजपा सांसद ने खंडन किया था। सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक गत आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किया था जिसे प्रस्ताव दिया गया है, जिनमें वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का भी प्रावधान है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, विधेयक में यह तथ करने की बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रावधान है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। यह संशोधन विधेयक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की व्यापक आधार वाली संरचना प्रदान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं तथा गैर-मुस्लिमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

तेलंगाना की जनता कांग्रेस सरकार से तंग आ चुकी है, अब भाजपा की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही: मोदी



नड़ दिल्ली। (भाषा) प्रधानमंत्री नरसद मादा ने बुधवार क कहा कि तलंगाना की जनता वहाँ की कांग्रेस सरकार से तंग आ चुकी है और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कुशासन की भयानक यादें अब भी उनके मन में ताजा हैं, लिहाजा वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ एक बैठक के बाद यह बात कही उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तेलंगाना भाजपा के विधायकों और सांसदों के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। उन्होंने कहा, राज्य में हमारी पार्टी की उपस्थिति तेजी से बढ़ रही है। तेलंगाना के लोग पहले ही कांग्रेस से तंग आ चुके हैं और बीआरएस कुशासन की भयानक यादें हैं। वे बड़ी उम्मीद से भाजपा की ओर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा लगातार आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ता विकास के एजेंडे पर विस्तार से काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वालों में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार तथा वरिष्ठ नेता के लक्षण सहित कई सांसद और विधायक शामिल थे। पिछले साल हुए तेलंगाना चुनाव में राज्य की 119 सदर्द्धय विधानसभा सीट में से कांग्रेस ने 64 सीट जीतकर सरकार बनाई थी जबकि सत्तारूढ़ बीआरएस 39 सीट पर सिमट गई थी। तेलंगाना में भाजपा ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए आठ सीट जीती थी।

# हिंदू नेता की रिहाई तक बांग्लादेशियों को वीजा जारी न किया जाएः अधिकारी

The image is a composite of two parts. On the left, a text box contains a speech by a Swami in Hindi. On the right, there is a photograph of a man, likely the same Swami, wearing an orange shawl and gesturing while speaking.

कोलकाता । (भाषा) भाजपा नेता  
शुभेन्दु अधिकारी ने बुधवार को कहा  
कि जब तक बांग्लादेश की  
कार्यवाहक सरकार हिंदू नेता चिन्मय  
कृष्ण दास ब्रह्मचारी को रिहा नहीं कर  
देती तब तक के लिए भारतीय  
अधिकारियों को बांग्लादेशी नागरिकों  
को बीजा जारी करना तुरंत बंद कर  
देना चाहिए। दास की तत्काल रिहाई  
की मांग को लेकर बांग्लादेश उप-  
उच्चायोग को एक ज्ञापन सौंपने के  
बाद अधिकारी ने पत्रकारों के साथ  
बातचीत में यह भी मांग की कि जब  
तक पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर  
अत्याचार रोकने के लिए कठम नहीं  
उठाए जाते तब तक दोनों देशों के  
बीच आयात और निर्यात को अस्थाई  
रूप से नियंत्रित कर दिया जाना  
चाहिए। अधिकारी ने कहा, आप  
जानते हैं कि बहां (बांग्लादेश)  
हिंदुओं पर किस तरह अत्याचार किया  
जाता है। इस तरह के अत्याचार को  
जारी नहीं रहने दिया जा सकता। प्रभु  
चिन्मय कृष्ण दास ने कुछ भी गलत  
नहीं किया है। हम उनकी तत्काल  
रिहाई चाहते हैं। उन पर झूटे मामले  
दर्ज किए गए हैं। इसकी अनुमति नहीं  
दी जा सकती। बहुत हो गया अब।

बांग्लादेश समिलिता सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता दास को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय वह चत्तांग में एक रैली में शामिल होने जा रहे थे। मंगलवार को एक अदालत ने करना भी बंद कर दें। हम एक दिन इंतजार करेंगे और कथित यातनाओं की घटनाओं को नहीं रोकने की स्थिति में उत्तर 24 परसना जिले के पेट्रापोल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर नाकाबंदी शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों

भाजपा ने खरगे से कहा, राहुल  
को बदलें, ईवीएम को नहीं

# सरकार ने मध्य वर्ग को लूटने का ठेका ले रखा है

संयुक्त विकास आयुक्त कानपुर नगर के खिलाफ

**अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही का निर्देश**  
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यज्य सरकार को संयुक्त विकास आयुक्त कानपुर नगर एन बी सबिता के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सबिता पर कार्य आदेश की अवधेलाना कर विपरीत आदेश पारित करने तथा मुख्य स्थाई अधिकार पर दोष मढ़ कोर्ट की साक्षात्कृति प्राप्त करने की तथ्य के विपरीत कोरिश करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा सबिता ने न केवल याची के पक्ष में तीन जांच रिपोर्ट के बावजूद पिछ जांच बैठता अपितु बाईकोर्ट के स्थगनादेश के विपरीत अपीलीय अधिकारी के तौर पर पार कार्य किया। अपने आपको कानून से ऊपर माना। याचिका की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमर्ती शेखर बी सराफतथा न्यायमूर्ति विठ्ठल शैलेन्द्र की खंडपीठ ने अभिता तिवारी उर्फ़जेजा तिवारी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। इससे पहले कोर्ट ने व्यक्तिगत हलफ़जामा मांग जिसका पालन नहीं किया गया तो शाजिर होकर सफ़र्ज देने का निर्देश दिया। इसके बाद हाजिर होकर हलफ़जामा दाखिल किया गया। याची के खिलाफ विभागीय अनियन्त्रिता की शिकायत की गई जिसकी जांच में आरोप निराधार पाया गया। दोबारा शिकायत पर पिछ दो बार जांच याची के पक्ष में रही। कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी। इसके बाद भी पिछ जांच बैठा दी गई। कोर्ट ने इसे कानून का दुरुपयोग करावा दिया और संयुक्त विकास आयुक्त एन बी सबिता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही का आदेश दिया है और मुख्य स्थाई अधिकार को अगली तिथि पर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

लड़की ने कहा पिता के घर में  
है खतरा, नारी निकेतन भेज दें

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 साल 8 महीने की नाबालिंग लड़की ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निर्विकरण कराए दिया और कहा उसे अपने पिता के घर में खत्ता है। उसकी सुरक्षा के लिए उसे नारी निकेतन भेज दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खालिज कर दी और जिला प्रोवेशन अधिकारी प्रयागराज को लड़की को लालिंग लेने तक नारी निकेतन में रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आपर शासकीय अधिकारों को इस कार्य में निर्बंधक शिल्पालाल का सहयोग लेने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने सतीश और अन्य की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। याचिका में लड़की को विपक्षियों की ओरैथ निरूपित्ति से मुक्त कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने लड़की को पेश करने का आदेश दिया और उसने बाजिर छोकर याचिका के आरोपों को सिरे से नकार दिया कक्ष वह अपनी मर्जी से गई है। विपक्षियों का उसको कोई संरोक्त नहीं है। उसने कक्ष पहले देवालाल अपनी सहेली के पास जार के लिए गयी। पिता ने अनुज व उसके परिवार के खिलाफ एचआईआर दर्ज किया। लड़की ने पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट को फौजी बताया तो हाईकोर्ट ने अनुज की बेल गांठ कर दिया। लड़की के पिता द्वारा पिर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल किया गया और आरोप पिर अनुज और उसके पिता माता दामाद पर लगाया और कहा कि इन लोगों ने डमाली लड़की को बंधक बनाया है और कहीं गांव कर दिया। कोर्ट के आदेश पर लड़की खुद हविलास से आकर उपस्थित हुई। बयान दिया कि सारी कहानी झूठी है मैं 17 साल 8 महीने से ज्यादा उम्र की हूँ मुझे किंसी ने भगाया नहीं है मैं खुद बच्चों की कोविंग लेती हूँ मैं हरिद्वार से खुद आई हूँ जिनके ऊपर मुझे लापता करने का आरोप है उनसे मेरा कोई संबंध नहीं अगर मुझे पिता की कस्टडी ने दिया गया तो मेरी जान को खतरा है। इसलिए उन पिता के साथ नहीं जा सकते। उन्हें सुरक्षा और संरक्षण चाहिए। आप पहले नारी निकेतन भेज दीजिये कोर्ट ने परिवर्तितियों पर विचारोपणत लड़की को नारी निकेतन भेज दिया विपक्ष की तरफसे बी नी जिषाद भूमें एक दण्डोकेट हाईकोर्ट ने बहस किया तो कोर्ट ने हैवियस कार्पस याचिका खालिज कर दिया।

**सारिता हत्याकांड के दाष्ठ पात का 7 वर्ष का केट**  
 सोनभद्र। 14 वर्ष पूर्व दहेज़ प्रातःइना के घलते हुईं सरिता हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एप्टीसी सीएडलू, सोनगढ़ अर्थना रानी की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पाति मुकुन्दलाल उर्मिलुन्द को 7 वर्ष की कैट व तीन हजार रुपये अर्थटंड की सजा सुनाई। अर्थटंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैट भुगतानी होगी। जेल में बितायी

**वकील के खिलाफकेस में  
बहस करने पर सदस्यता  
निरस्त करने के प्रस्ताव  
पर हाईकोर्ट सख्त**

बार एसोसिएशन एटा के अध्यक्ष सचिव को

नाट्स जारा कर सफल मांग है। केवल कानून के तहत एसोसिएशन प्रस्ताव पारित कर किसी वादकारी को वकील के खिलाफ केस में वकील रखने पर रोक लगा सकती है। कोर्ट ने साफकहा है कि यदि सफर्ड से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो बार एसोसिएशन के प्रस्ताव को न्याय प्रशासन में अवरोध उत्पन्न करने वाला मानकर जिवित कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने विपक्षी एटा के अधिवक्ता अशोक कुमार मिश्र को भी नोटिस जारी कर अर्जी पर चार हफ्ते में जबाब मांगा है और एटा अदालत में चल रही केस कार्यावाही पर रोक लगा दी है। अर्जी की अगली सुनवाई फरवरी 25 माह में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शिक्षित शैलेन्ड ने सौरभ द्विवेदी की स्थानांतरण अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि उसकी पती की मौत हो गई उसने अपने बच्चे की अधिकाश के लिए प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत एटा में अर्जी दी है। बच्चे से मिलने के अधिकार के तहत हाईकोर्ट में बढ़ी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर उसे हर शिनिवार को अपने बच्चे से मुलाकात का अधिकार दिया गया है विपक्षी वकील हैं वह पुलिस पर दबाव बनाकर याची को बच्चे से मिलने से रोक रहा है याची का कहना है कि बार एसोसिएशन एटा ने प्रस्ताव पारित कर कहा है कि किसी वकील के व्यक्तिगत केस में जो वकील खिलाफ बहस करेगा उसकी बार की सदस्यता निरस्त कर दी जायेगी। जिसके कारण उसे कोई वकील नहीं मिल रहा है। इसलिए उसका केस एटा से लखनऊ स्थानांतरित किया जाए।

**भारत, यूरोपीय संघ ने एफटीए वार्ता  
की समीक्षा की, यूक्रेन में स्थाई  
शांति की आवश्यकता पर बल दिया**

नई दिल्ली। (भाषा) भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने तीन बैठक कर द्विपक्षीय सहयोग का व्यापक मूल्यांकन किया, एफटीए वार्ता की समीक्षा की और यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत एवं स्थाई शांति की आवश्यकता को रेखांकित किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और ईयू ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समझ हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई तथा भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यूरोपीय संघ की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। भारत और यूरोपीय संघ ने 22 नवंबर को ब्रूसेल्स में पांचवीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक आयोजित की। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) तम्य लाल ने किया तथा यूरोपीय संघ पक्ष का नेतृत्व यूरोपीय बाह्य कार्बाईं सेवा (ईईएस) में आर्थिक एवं वैश्विक मुद्दों के लिए उप महासचिव साइमन मार्ड्यू ने किया। दसवीं भारत-यूरोपीय संघ विदेश नीति एवं सुरक्षा परामर्श तथा दसवीं भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा समिति की बैठक भी 21 नवंबर को आयोजित की गई थी। लाल ने ईईएस के महासचिव स्टेफनो सैनिनो से भी मुलाकात की।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ए बैठकें भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की 20वीं वर्षांग के मौके पर तथा भारत और यूरोपीय संघ तथा उसके सदस्य देशों के बीच बढ़ते संबंधों की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई। बयान में कहा गया कि बैठकों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय सहयोग का व्यापक मूल्यांकन किया गया। इसमें कहा गया, 2024-2029 के लिए राजनीतिक दिशा-निर्देशों में एक नया भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक एजेंडा विकसित करने के लिए राष्ट्रपति वॉन डेर लेन की प्रतिबद्धता का स्वागत किया गया विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान आर्थिक सुरक्षा, हरित परिवर्तन, स्क्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रवासन, भारत-यूरोपीय संघ संपर्क भागीदारी, और आईईएसी (भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा) समेत व्यापक विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने और शिक्षा तथा अनुसंधान में लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), निवेश संक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतकों पर समझौते के लिए जारी वार्ता की समीक्षा की और उनके महत्व पर सहमति व्यक्त की। बयान में कहा गया, उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर बल दिया।

अवधि सजा न म समाहित हागा। दाशा पात का न्यायिक अभियासा में लेकर जेल भेज दिया गया। अभियोगन पथ के मुताबिक मृतका का भाई अग्रेश सिंह निवासी गाम देवरी थाना उर्फ़तरसगंज, ने घोषावल थाने में 15 नवंबर 2010 को दी तहसीर में अवगत कराया था कि उसने अपनी बहन सरिता की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व मुकुन्दलाल उर्फ़बुन्दर प्रपु सुदामा निवासी गाम बेलखणी, थाना घोषावल, के साथ हिंदू दीनी दिवान से किया था। शादी में अपने सामर्थ्य के अनुशास उपाधि स्वरूप सामान दिया था। बागूजूट इसके दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन सरिता को मुकुन्दलाल उर्फ़ बुन्दर थुक से ही लाएपीट कर प्रताडित कराता था। जब नी सरिता मायके आती थी तो सारी बात सबको बताती थी। कई बार दिलेटरों के सामने पूछायत भी हुई, जिसने कहा जाता था कि अब प्रताडित नहीं करेंगे। लेकिन पुनः वही दौड़ेया अपनाया जाता रहा। 5 नवंबर 2010 को दीपावली के दिन सूचना पर अन्य लोगों के साथ अस्पताल पहुंचा तो बहन सरिता मृत हाल में पड़ी थी। उसे पूर्ण विश्वास है कि दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो मुकुन्दलाल उर्फ़बुन्दर ने उसकी बहन सरिता को मार डाला है। इपोर्ट दर्ज कर आदर्यक कर्ऱ्वर्ड करें। इस तहसीर पर पुलिस ने एक्षांड्रिअा दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में घायरीटी दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिकारियों के तरफ़ को सुनाने, 9 गवाहों के बयान न पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषिस्तिद्ध पाकर दोषी मुकुन्दलाल उर्फ़बुन्दर को सजा सुनाई। इस संदर्भ में सरकारी वकील सत्यप्रकाश प्रियांती का कहना है कि बिल्कुल एपोर्ट में सरिता की मौत तिव के सेवन से हुई भवता गया है। अभियुक्त मुकुन्दलाल उर्फ़बुन्दर को व्यायिक अभियासा में लेकर जेल भेज दिया गया।

**नीलमणि ने अंगदान की घोषणा की**





